संख्या:28/2020/541जेएल/22-3-2020-100(16)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2020***

विषय: जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध 05 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6364/सामा-1(3)/मथुरास्था0/2019, दिनांक 02-03-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध निम्नलिखित 05 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	लाल बिहारी पुत्र श्री गंगाप्रसाद	जि0का0 मथुरा	जि0का0 फिरोजाबाद
2	अनिल कुमार पुत्र श्री राधेश्याम	जि0का0 मथुरा	जि0का0 आगरा
3	चरन सिंह पुत्र श्री रामवक्स	जि0का0 मथुरा	जि0का0 रामपुर
4	रिन्कू पुत्र श्री ओमकार	जि0का0 मथुरा	जि0का0 कासगंज
5	राहुल कुमार पुत्र श्री किशनपाल	जि0का0 मथुरा	जि0का0 पीलीभीत

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:28/2020/541जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा/फिरोजाबाद/आगरा/रामपुर/कासगंज/पीलीभीत।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा/फिरोजाबाद/आगरा/रामपुर/कासगंज/पीलीभीत।
5. अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा/फिरोजाबाद/आगरा/रामपुर/कासगंज/पीलीभीत।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in